Witness No.-.....01…..for....आवेदिका ....-Deposition page No. 1

Witness No. ....**01**.......... For ....**आवेदिका**.......... Deposition taken the ....**09.10.25**.....day of ....**गुरुवार**........ Witness's apparent age....**49 Yrs**....

States On Affirmation.....**शपथ पूर्वक**.....my name is.......**दुलारी बाई**.......

W/ of.......**स्व० गंगाराम**.......Occupation.......**मजदूरी**.......

Address ......**ग्राम–कोरबी, पो.ऑ.–सुतर्रा, तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा (छ०ग०)**......

समयः–03.35 बजे से प्रारंभ

टीपः– मेरे द्वारा अपने दावा के समर्थन में अपना शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 व्य.प्र.स. आज दिनाँक 09.10.2025 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें कुल 01 से 06 कंडिका है। शपथ पत्र में शपथकर्ता के रूप में मेरे हस्ताक्षर है तथा जो सत्य एवं सही है।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री आर०के० श्यामले अधिवक्ता वास्ते आवेदिकागण

07– मैंने अपने दावा के समर्थन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला कोरबा के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1923/2023 से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति पेश की हूं, जिसमें अंतिम प्रतिवेदन **प्रपी–01** , प्रथम सूचना पत्र **प्रपी–02**, अकाल मृत्यु की सूचना **प्रपी–03** , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छूरी द्वारा थाना प्रभारी मृतक की सूचना **प्रपी–04**, जप्ती पत्रक **प्रपी–05**, गिरफ्तारी पत्रक **प्रपी–06**, अपराध विवरण फार्म **प्रपी–07** , पुलिस मेमो **प्रपी–08** , नक्शा पंचायतनामा **प्रपी–09** , शव परीक्षण आवेदन व रिपोर्ट **प्रपी–10** , धारा–133 का नोटिस **प्रपी–11** , सुपुर्दनामा **प्रपी–12** पेश की हूं तथा दुर्घटनाकारित वाहन का बीमा पॉलिसी, आर.सी. बुक , ड्राईविंग लायसेंस तथा मृतक का आधारकार्ड एवं हम आवेदिकागण के आधारकार्ड की छायाप्रति प्रति पेश की हूं । मुझे दावा अनुसार क्षतिपूर्ति दिलायी जावे।

टीपः– इसी स्तर पर उपस्थित साक्षी की तबीयत खराब होने से उसका प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया ।

समयः– 03.50 बजे तक ।

साक्षी को पढकर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।
सही/–
(शैलेष कुमार केतारप)
प्रथम अपर मो.दु.दा.अधिकरण
बिलासपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देश में टंकित।
सही/–
(शैलेष कुमार केतारप)
प्रथम अपर मो.दु.दा.अधिकरण
बिलासपुर(छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर … … … … … .

टीप – आज दिनांक 11–11–2025 को आवेदिका साक्षी श्रीमती दुलारी बाई उपस्थित, उसे पुनः शपथ दिलाई जाकर परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

समय 12.30 बजे से प्रारंभ

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अमित सोनी अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 01

08– यह कहना सही है कि दुर्घटना होते हुए मैनें नहीं देखा है । यह कहना सही है कि मैं यह भी नहीं बता सकती कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई थी । यह कहना गलत है कि मैनें क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए मिथ्या आधारों पर दावा प्रस्तुत किया है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री उमा राव अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 02

09– यह कहना सही है कि हम आवेदकगण का आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि ग्राम कोरबी तहसील कटघोरा जिला–कोरबा से बना है । यह कहना सही है कि हम आवेदकगण ग्राम कोरबी तहसील कटघोरा जिला–कोरबा में निवास करते है इसलिए हमारा आधार कार्ड एवं राशन कार्ड वहां से बना है । यह कहना सही है कि मेरा राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही के रुप में बना है ।

10– मृतक गंगा राम अपने भतीजे आशीष के मोटर सायकल में पीछे बैठकर जा रहा है, उक्त मोटर सायकल के नंबर की मुझे जानकारी नहीं है । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में आशीष द्वारा चालित मोटर सायकल के चालक, वाहन स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है । मुझे जानकारी नहीं है कि मोटर सायकल चालक आशीष के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं था । यह कहना सही है कि आशीष एवं मृतक गंगाराम दोनों दृर्घटना के समय हेलमेट नहीं लगाये थे ।

11– यह कहना गलत है कि दुर्घटना मोटर सायकल चालक आशीष के तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चालन से हुई होगी तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है । साक्षी स्वतः कहा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि दुर्घटना पिकअप वाहन से हुई थी । मुझे आज पिकअप वाहन के नंबर की जानकारी नहीं है ।

12– यह कहना सही है कि विरेन्द्र आवेदक क्रमांक 02 का विवाह हो चुका है तथा उसके 02 बच्चे है । यह कहना गलत है कि आवेदक क्रमांक 03 अरविंद कुमार का भी विवाह हो चुका है । यह कहना सही है कि आवेदक क्रमांक 02 विरेन्द्र कार्य कर आय अर्जित कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है । यह कहना सही है कि आवेदक क्रमांक 03 अरविंद भी कार्यकर आय अर्जित कर परिवार का पालन पोषण करता है ।

13– यह कहना सही है कि मेरे द्वारा मृतक के राजमिस्त्री का कार्य करने एवं प्रतिदिन रुपये 700–800/– मजदूरी प्राप्त करने के संबंध में प्रकरण में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह कहना गलत है कि मृतक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता था और न ही कोई आय

अर्जित करता था, इसलिए मेरे द्वारा प्रकरण में मृतक के कार्य एवं आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि मैं रोज–मजदूरी करके आय अर्जित करती हूॅ ।

14– यह कहना गलत है कि मृतक गंगा राम की आयु 60 वर्ष अधिक थी । साक्षी स्वतः कहा कि मैं मृतक के आयु के संबंध में प्रकरण में आधार कार्ड प्रस्तुत की हूॅ । यह कहना गलत है कि मृतक आयु आधार कार्ड में गलत इंद्राज है । साक्षी स्वतः कहा कि मृतक की आयु 52–53 वर्ष थी । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में अंतिम क्रियाक्रम, दशगात्र आदि में रुपये 1,00,000/– खर्च किये जाने के संबंध में प्रकरण में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में घटना नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

15– यह कहना गलत है कि दुर्घटना स्वयं मोटर सायकल चालक के स्वयं की लापरवाही एवं मृतक के द्वारा लापरवाही पूर्वक मोटर सायकल के दोनों तरफ सब्जी के झोला लटकाने से असंतुलित होकर मोटर सायकल से गिरने से हुई है । यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन वाहन को संलिप्त किया गया है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु अत्यंत बढ़ाचढ़ाकर झूठा कथन करते दावा प्रस्तुत किया गया है ।

समयः– 12.50 बजे तक ।

साक्षी को पढकर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देश में टंकित।

सही/–
(शैलेष कुमार केतारप)
प्रथम अपर मो.दु.दा.अधिकरण
बिलासपुर(छ.ग.)

सही/–
(शैलेष कुमार केतारप)
प्रथम अपर मो.दु.दा.अधिकरण
बिलासपुर(छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर ... ...